INDIA PARTNER | Dabur GROUP

अविवा वेल्थ बिल्डर

AVIVA | Life Insurance |

अवीवा वेल्थ बिल्डर – एक गैर-संपर्क, गैर–सहभागिता बीमा योजना जो मैचुरिटी पर आपकी किस्तें दुगनी कर देता है।

हम सभी की कुछ आकांक्षाएं और जीवन में कुछ पड़ाव होते है जिसे हम हासिल करने की आशा रखते हैं। चाहे यह कोई कटिबद्धता हो, जैसे कि बच्चे की शिक्षा/शादी, या एक घर खरीदने का सपना हो, या आराम से रिटायर होना चाहते हो। हम यह योजना बनाते हैं कि ये घटनाएं कब होने की संभावना है, लेकिन हम अपनी चाहत के अनुसार इन सपनों को पूरा करने के लिए काफी रकम जुटाने की योजना नहीं बनाते हैं। अवीवा में हमने इसे पहचाना है और आपके इन सपनों को पूरी तरह से साकार बनाने में सहायता के लिए खास तौर अविवा वेल्थ बिल्डर योजना बनाया है। यह जीवन बीमा योजना मैचुरिटी पर आपके द्वारा भुगतान की गई कुल किस्तों की दुगनी रकम वापस देने की गारंटी देता है। सिर्फ यहीं नहीं है, अवीवा वेल्थ बिल्डर यह भी सुनिश्चित करता है कि आपके न रहने पर आपके परिवार को उत्तम सुरक्षा मिले। इसलिए, आगे बढ़ें और अपने सपनों को पूरा करें।

अवीवा वेल्थ बिल्डर – अनोखे आकर्षण

- **मैचुरिटी पर भुगतान मिलने की गारंटी:** सभी देय किस्तों का भुगतान होने पर, मैचुरिटी के समय आपके द्वारा भुगतान की गई कुल किस्त की दुगनी रकम पाएं।
- **मृत्यु पर भुगतान मिलने की गारंटी:** बीमित व्यक्ति के दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में, यदि मृत्यु तक की सभी बकाया किस्तों का भुगतान किया गया है, तो हम आपके परिवार को आश्वस्त रकम का भुगतान करके उसे सुरक्षित करते हैं।

अवीवा वेल्थ बिल्डर – पात्रता

<table>
<tr><th>प्राचल</th><th>मानदंड</th></tr>
<tr><td>प्रवेश की आयु</td><td>5 से 50 वर्ष, पिछले जन्मदिन को</td></tr>
<tr><td>पॉलिसी की अवधि एवं किस्त भुगतान अवधि (वर्षों में)</td><td><table><tr><th>पॉलिसी की अवधि</th><th>किस्त भुगतान अवधि</th></tr><tr><td>13</td><td>सिंगल किस्त</td></tr><tr><td>15</td><td>5</td></tr><tr><td>17</td><td>10</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>मैचुरिटी की आयु, पिछले जन्मदिन को (वर्षों में)</td><td><table><tr><th>पॉलिसी की अवधि</th><th>मैचुरिटी के लिए न्यूनतम आयु</th><th>मैचुरिटी के लिए अधिकतम आयु</th></tr><tr><td>13</td><td>18</td><td>63</td></tr><tr><td>15</td><td>20</td><td>65</td></tr><tr><td>17</td><td>22</td><td>67</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>न्यूनतम किस्त</td><td>नियमित किस्तः ₹50,000 प्रति वर्ष
सिंगल प्रीमियमः ₹1,50,000</td></tr>
<tr><td>सिंगल प्रीमियम (प्रति जीवन)</td><td>₹1,00,00,000</td></tr>
<tr><td>आश्वस्त रकम</td><td><table><tr><th>पीपीटी</th><th>आश्वस्त रकम</th></tr><tr><td>एक वर्ष</td><td>एक किस्त का 2 गुना*</td></tr><tr><td>5 वर्ष</td><td>वार्षिक किस्त का 10 गुना*</td></tr><tr><td>10 वर्ष</td><td>वार्षिक किस्त का 20 गुना*</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>न्यूनतम/अधिकतम आश्वस्त रकम</td><td><table><tr><th>आवृत्ति</th><th>न्यूनतम आश्वस्त रकम (₹ में)</th><th>अधिकतम आश्वस्त रकम (₹ में)</th></tr><tr><td>एक वर्ष</td><td>₹3,00,000</td><td>₹2,00,00,000</td></tr><tr><td>5 वर्ष</td><td>₹5,00,000</td><td>₹10,00,00,000</td></tr><tr><td>10 वर्ष</td><td>₹10,00,000</td><td>₹20,00,00,000</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>किस्त भुगतान आवृत्ति</td><td>सिंगल या वार्षिक</td></tr>
</table>

*किस्तों में अतिरिक्त किस्त की कोई रकम और कर, यदि हो शामिल नहीं है।

कृपया ध्यान दें:

1. करों में वस्तु एवं सेवा कर, उपकर शामिल है लेकिन इन तक सीमित नहीं है और सरकार द्वारा समय–समय पर प्राप्त सूचना के अनुसार ये प्रयोज्य कर लागू किए जाएंगे। कर की विधियां परिवर्तन के अधीन है।
2. पॉलिसी के लिए लागू किस्त के अतिरिक्त पूर्व दिनांकित अवधि के लिए 9% प्रति वर्ष, मासिक चक्रवृद्धि, का ब्याज चुका कर पॉलिसी को तत्काल वित्तीय वर्ष के अंतर्गत पूर्व दिनांकित किया जा सकता है।
3. यदि पॉलिसी की शुरुआत में बीमित व्यक्ति एक नाबालिग है:
   - जोखिम तत्काल शुरू हो जाएगी
   - वह पॉलिसी धारक किस्तों का भुगतान करेगा जो बीमित व्यक्ति का माता/पिता या दादा/दादी या कानूनी अभिभावक हो। किस्तों के भुगतान की अवधि पूर्ण होने से पहले पॉलिसी धारक की मृत्यु की घटना में बीमित व्यक्ति के जीवित माता/पिता/ कानूनी अभिभावक द्वारा भविष्य के किस्तों का भुगतान किया जाएगा। यदि बीमित व्यक्ति एक नाबालिग है और यदि भविष्य के किस्तों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो समाप्ति/ प्रदत्त प्रावधान लागू होगा।
   - पॉलिसी धारक के मृत्यु के घटना में, जहाँ बीमित व्यक्ति एक नाबालिग है, वहां कंपनी द्वारा मांगे गए आवश्यक आवेदन और समर्थनकारी दस्तावेज जमा करने पर पॉलिसी बीमित व्यक्ति के माता/पिता/ कानूनी अभिभावक में निहित होगा।
   - बीमित व्यक्ति के पिछले जन्मदिन को 18 वर्ष पूर्ण हो जाने पर पॉलिसी स्वचालित रूप से बीमित व्यक्ति के पक्ष में निहित होगी।

लाभ

मैचुरिटी लाभ

- यदि सभी बकाया किस्तों का भुगतान किया गया हो और मैचुरिटी तिथि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर मैचुरिटी पर आश्वस्त रकम (भुगतान की गई किस्तों का दुगना, करों और अतिरिक्त किस्तों, यदि हो, को छोड़कर) भुगतान किया जाएगा।

उदाहरण के लिए:

यदि आप 35 की उम्र में एक 15 वर्षीय पॉलिसी का विकल्प चुनते हैं, और 5 वर्षों के वार्षिक किस्त के रूप में ₹1 लाख और लागू करों (कुल ₹5 लाख और कर) का भुगतान करते हैं, तो आपको मैचुरिटी की तिथि (50 वर्ष की आयु में) को ₹10 लाख का गारंटीड लाभ मिलेगा।

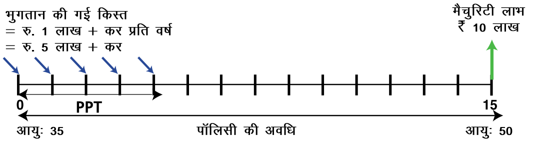

मृत्य लाभ

- बीमित व्यक्ति की मृत्यु घटने के मामले में, नामांकित व्यक्ति को प्रदान किया जाने वाला भुगतान आश्वस्त रकम के समान होगा, बशर्ते मृत्यु की तिथि तक सभी बकाया किस्तों का भुगतान किया गया हो।

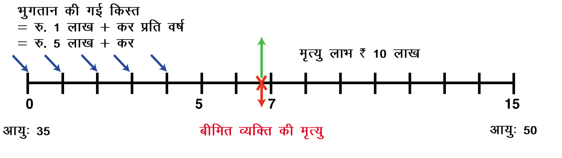

यदि कम से कम दो वर्षों के नियमित किस्तों का भुगतान न किया गया हो

- छूट की अवधि समाप्त होने से पहले देय किस्त न मिलने के मामले में, पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
- किस्त का भुगतान करने के लिए किस्त भुगतान की नियत तिथि से 30 दिनों की एक छूट की अवधि होती है।
- एक समाप्त पॉलिसी को बहाल कारने के लिए पॉलिसी धारक के पास पहले आदत्त बकाया किस्त (ऍफ़यूपी) की तिथि से दो वर्षों का समय होगा।
- यदि समाप्त पॉलिसी को बहाल नहीं करवाया जाता है, तो पहले आदत्त बकाया किस्त (ऍफ़यूपी) की तिथि से दो वर्षों का समय के बाद, अतिरिक्त किस्त और कर, यदि हो, के प्रति भुगतान की गई किसी रकम को छोड़कर नियमित किस्त का 30% रकम अदा करने के बाद पॉलिसी पूर्णतया समाप्त हो जाएगी।
- बहाली अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु घटने पर, नामांकित व्यक्ति को अतिरिक्त किस्त और कर, यदि हो, के प्रति भुगतान की गई किसी रकम को छोड़कर नियमित किस्त का 100% रकम अदा किया जाएगा।

यदि कम से कम दो वर्षों के नियमित किस्तों का भुगतान किया गया हो

- छूट की अवधि समाप्त होने से पहले देय किस्त न मिलने के मामले में, वह पॉलिसी एक प्रदत्त पॉलिसी बन जाएगी।
- किस्त का भुगतान करने के लिए किस्त भुगतान की नियत तिथि से 30 दिनों की एक छूट की अवधि होती है।
- एक पॉलिसी को बहाल कारने के लिए पॉलिसी धारक के पास पहले आदत्त किस्त (ऍफ़यूपी) की तिथि से दो वर्षों का समय होगा।
- यदि प्रदत्त पॉलिसी को बहाल न किया गया, तो वह पॉलिसी कम लाभ, अर्थात प्रदत्त आश्वस्त रकम के साथ बनी रहेगी। प्रदत्त आश्वस्त रकम निम्न अनुसार होगी:

प्रदत्त आश्वस्त रकम = आश्वस्त रकम × भुगतान की गई किस्तों की संख्या ÷ पॉलिसी के अधीन देय कुल किस्तों की संख्या

यदि बीमित व्यक्ति मैचुरिटी से पहले मर जाता है या मैचुरिटी तक जीवित रहता है, तो एक प्रदत्त पॉलिसी के संबंध में प्रदत्त आश्वस्त रकम देय होगा।

बहाली/ रिवाइवल:

- प्रथम आदत्त किस्त की तिथि से 2 वर्षों के अंतर्गत समाप्त/ प्रदत्त पॉलिसी को बहाल/ रिवाइव करने की अनुमति है।
- बहाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंडरराइटिंग नीति के अनुसार कंपनी के संतुष्टि के अनुरूप बीमित व्यक्ति के निरंतर बीमायोग्यता का प्रमाण जमा करने के अधीन है।
- रु. 250 के बहाली/ रिवाइवल शुल्क और विलंबित अवधि के लिए आदत्त देय किस्तों पर 9% प्रति वर्ष मासिक चक्रवृद्धि के अनुसार ब्याज समेत सभी बकाया किस्त देय होगा।
- बहाली/ रिवाइवल शुल्क और ब्याज का दर आईआरडीएआई के अनुमोदन सहित भविष्य में समीक्षा के अधीन है।

समर्पण मूल्य (एसवी)

- एक सिंगल किस्त पॉलिसी को पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय समर्पण किया जा सकता है।
- एक नियमित किस्त पॉलिसी को कम से कम दो वर्षों के किस्तों के भुगतान के बाद किसी भी समय समर्पण किया जा सकता है।

देय समर्पण मूल्य वह होगा जो आश्वस्त समर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष समर्पण मूल्य (एसएसवी) में से बड़ा हो।

जहाँ:

- गारंटीड समर्पण मूल्य (जीएसवी) = जीएसवी घटक × भुगतान की गई किस्तें (करों और अतिरिक्त किस्त, यदि हो, को छोड़कर)
- जीएसवी कारक पॉलिसी की अवधि और समर्पण के पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करती है, जैसा नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है:

शुरुआत की तिथि से बीती अवधि, वर्षों में	पॉलिसी की अवधि के लिए जीएसवी घटक		
	13 वर्ष	15 वर्ष	17 वर्ष
0	70%	NA	NA
1	70%	30%	30%
2	70%	30%	30%
3	90%	50%	50%
4	90%	50%	50%
5	90%	50%	50%
6	90%	50%	50%
7	100%	75%	55%
8	110%	85%	65%
9	120%	100%	80%
10	135%	110%	90%
11	150%	120%	100%
12	165%	135%	110%
13	180%	150%	120%
14		165%	135%
15		180%	150%
16			165%
17			180%

- विशेष समर्पण मूल्य (एसएसवी) = विशेष समर्पण मूल्य घटक × प्रदत्त आश्वस्त रकम
- कंपनी द्वारा विशेष समर्पण मूल्य घटकों (एसएसवी) में आईआरडीए से मंजूरी के अधीन समय–समय पर निर्णय लिया और संशोधन किया जाता है।

कर लाभ:

प्रचलित कर विधियों के अनुसार कर लाभ उपलब्ध है जो परिवर्तन के अधीन है।

छूट की अवधि:

किस्त भुगतान के वार्षिक आवृत्ति के लिए किस्त भुगतान करने की नियत तिथि से 30 दिनों की छूट की अवधि मिलती है।

नामांकन एवं समनुदेशनः इस बीमा के तहत समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अधीन परिभाषित नामांकन की अनुमति है, और इस बीमा के तहत समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अधीन परिभाषित समनुदेशन की अनुमति है।

ऋणः

अविवा इस पॉलिसी के प्रति ऋण प्रस्तुत नहीं करेगा।

फ्रीलुक अवधिः

पॉलिसी धारक को पॉलिसी दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अंतर्गत पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों की समीक्षा करने का अधिकार है। यदि पॉलिसी धारक फ्री लुक अवधि के दौरान अपनी पॉलिसी रद्द करता है, तो कंपनी रद्दीकरण की तिथि को किस्त में से चिकित्सा (यदि हो) और स्टैम्प ड्यूटी पर वहन की गई खर्चे काटने के बाद किस्त वापस लौटा देगी।

यदि पॉलिसी को दूरस्थ विपणन के माध्यम से बेचा गया है, तो अनुमेय फ्रीलुक अवधि 30 दिनों की होगी।

अपवाद (यदि हो)ः

12 महीनों के भीतर आत्महत्या के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु घटने परः

i. पॉलिसी के शुरुआत की तिथि से, पॉलिसी धारक द्वारा नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी किसी कर के भुगतान और अतिरिक्त किस्तों के छोड़कर भुगतान की गई किस्तों का 80% रकम पाने का अधिकारी होगा, बशर्ते पॉलिसी प्रभाव में हो, या

ii. पॉलिसी के रिवाइवल की तिथि से, पॉलिसी धारक द्वारा नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी वह रकम पाने का अधिकारी होगा, जो किसी कर के भुगतान और अतिरिक्त किस्तों के छोड़कर भुगतान की गई किस्तों के 80% रकम और मृत्यु की तिथि को उपलब्ध समर्पण मूल्य में से अधिक होगा।

स्वीकृति

कंपनी द्वारा सम्पूर्ण प्रस्ताव और शुरुआती भुगतान ग्रहण किए जाने से यह कंपनी जोखिमों के अंडरराइटिंग के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगी, कंपनी तब तक उत्तरदायी नहीं होगी जब तक वह जोखिमों की अंडरराइटिंग करके और पॉलिसी जारी न कर ले।

अवीवा में ही निवेश क्यों करें?

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया – डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और यूके में स्थित एक बिमा कंपनी, अविवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है, भारत के साथ जिसका सहयोग 1834 से रहा है। अविवा जीवन बीमा चुन कर, आप विश्व के सबसे पुराने बीमा समूहों के प्रबंधन अनुभव से लाभ प्राप्त करते हैं, इस क्षेत्र में 1696 से जिसका इतिहास रहा है। आज, अविवा ग्रूप के 16 देशों में 33 मिलियन ग्राहक हैं (2016)।

डाबर की एक प्रमुख कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड की संस्थापना वर्ष 1884 में हुई थी और यह भारत के सबसे पुराने और बड़ी कंपनियों में से एक है। यह भारत में पारंपरिक स्वास्थ्य वर्धन उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादकर्ता है।

धारा 41

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 के अनुसार, (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिमों के संबंध में एक बीमा लेने या रिवाइव करने या जारी रखने के लिए, देय कमीशन में सम्पूर्ण या आंशिक छूट या पॉलिसी पर प्रदर्शित किस्तों में कोई छूट देने के लिए प्रलोभन के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अनुमति नहीं देगा या अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं देगा, और न ही पॉलिसी लेने या रिवाइव करने या जारी रखने वाला कोई व्यक्ति ऐसी छूट को स्वीकार करेगा, केवल उन छूटों के अलावा जो बीमा कंपनी द्वारा प्रकाशित विवरण पुस्तिकाओं या तालिकाओं में स्वीकार्य हो। उपबंधित है कि एक बीमा एजेंट द्वारा खुद या अपने जीवन पर की गई जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में कमीशन स्वीकार करने पर इसे इस उप–धारा के अर्थों के अंतर्गत किस्तों पर छूट के अधीन स्वीकार्य नहीं समझा जाएगा, यदि ऐसी स्वीकृति के समय बीमा एजेंट यह प्रमाणित करते हुए विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है कि वह बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त एक असली बीमा एजेंट है।

(2) इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में यदि कोई व्यक्ति कोई चूक करता है तो उस पर दस लाख रूपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

धारा 45

समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के अनुसार तीन वर्षों के बाद पॉलिसी पर मिथ्या–कथन के आधार पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है।

पूछताछ और शिकायतः

अधिक जानकारी, पूछताछ या शिकायतों के लिए कृपया नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करेंः

1800 103 7766 (बीएसएनएल/एमटीएनएल उपयोगकर्ताओं के लिए टोल–फ्री) या 0124-2709046 या SMS "Aviva" to 5676737

फैक्स नं.: 0124- 2571210

AVIVA

| Life Insurance |

डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड

मुख्य कार्यालयः अवीवा टावर, सेक्टर रोड, गोल्फ कोर्स के सामने, डीएलएफ़ फेज–V, सेक्टर 43, गुडगाँव-122 003, हरियाणा, भारत।

फोनः +91 0124 -2709000, फैक्सः +91 0124 -2571210

वेबसाइटः www.avivaindia.com

ई–मेलः customerservices@avivaindia.com

पंजीकृत कार्यालयः द्वितीय मंजिल, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 7, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 001, भारत

Corporate Identity Number (CIN): U66010DL2000PLC107880

फर्जी फोन कॉल और जाली/ठगी के ऑफ़र्स से सावधानः IRDA की सार्वजनिक घोषणाः

- IRDA या इसके अधिकारी किसी प्रकार के बीमा या फाइनैंशियल प्रोडक्ट की बिक्री या फिर प्रीमियम इन्वेस्टमेंट जैसे कार्य नहीं करते हैं।
- IRDA किसी बोनस की घोषणा नहीं करता है। ऐसे फोन कॉल आने पर फोन नंबर के साथ कॉल विवरण सहित पुलिस में ज़रूर शिकायत करें।

अविवा वेल्थ बिल्डर नॉन–लिंक्ड, नॉन–पार्टिसिपेटिंग जीवन बीमा योजना है। ऊपर प्रदर्शित ट्रेड लोगो अवीवा ब्रॉण्ड्स लिमिटेड का है और अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड लाइसेंस के तहत इसका उपयोग करती है। भारतीय IRDA नं. 122 जोखिम के कारणों और नियमों एवं शर्तों की अधिक जानकारी के लिए कृपया सेल्स ब्रोशर पढ़ने के बाद बिक्री करार पूरा करें। कर संबंधी लाभ वर्तमान कानूनों के अनुसार लागू, जो बदल सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि मूल आधार दस्तावेज़ अंग्रेजी में है और इसके संदर्भ में आपकी आसानी के लिए स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है। अनुवाद के कारण उत्पन्न होने वाली विविध व्याख्या के मामले में अंग्रेजी संस्करण हर समय स्थानीय भाषा का अधिग्रहण करेगा।

हेल्पलाइन नं. 1800-180-22-66/1800-103-77-66, UIN: 122N100V03, Advt No. Mar 46/18, MKT/ Mar 2018/Ver. 1.0